प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.07.2025

गैंगस्टर अभियुक्ता नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद की दो करोड चालीस लाख(2,40,000,00/-) रुपये की सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय श्री जे. रविन्द्र गौड के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.07.2025 को थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित शातिर गैंगस्टर अभियुक्ता नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद की दो करोड चालीस लाख(2,40,000,00/-) रुपये की चल/अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया।

जब्त चल सम्पत्ति का विवरण -

रजिस्ट्रेशन नं0	वाहन का प्रकार	अनुमानित कीमत	वाहन स्वामी का नाम
UP 14 QT 0411	टैम्पू ट्रैवलर	20 लाख	इरशाद(नाजिया का रिस्तेदार)
UP 14 GT 9950	टैम्पू ट्रैवलर	20 लाख	नाजिया अख्तर

जब्त अचल सम्पत्ति का विवरण – खसरा नं0 1343 आवासीय प्लाट सं0 86 दो मंजिला मकान हिण्डन विहार(अर्थला), थाना साहिबाबाद गाजियाबाद अनुमानित कीमत दो करोड(2,00,000,00/-) रुपये।

- गैंगस्टर अभियुक्ता नाजिया अख्तर पुत्री नसीम अख्तर नि0 139 चमन कालोनी न्यू बस अड्डा गाजियाबाद का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	कमिश्नरेट
1	508/2023	420/406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
2	832/2024	406/506 भादवि	कविनगर	गाजियाबाद
3	107/2025	2/3 गैंगस्टर अधि0	कविनगर	गाजियाबाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे कुल 03 अभियोग से सम्बन्धित 02 मोबाइल फोन,01 पावर बैंक, 01 स्कूटी एवं 1720/- रूपये नगदी बरामद।

दिनांक 25.07.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर अम्बेडर रोड चौधरी मोड पर एक स्कूटी पर सवार 02 अभियुक्त 1- शानू उर्फ शाहनवाज पुत्र दीन मोहम्मद निवासी गोल्डन पब्लिक स्कूल के सामने प्रताप बिहार मिर्जापुर थाना विजय नगर स्थाई पता ग्राम जारचा थाना जारचा गौतमबुद्ध नगर उम्र 23 वर्ष व 2- जुबैर उर्फ बबलू पुत्र युनुस निवासी फ्लैट नंबर 9/10 ब्लॉक 1, काशीराम सिद्धार्थ बिहार थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। जिसके पास से चोरी के 02 मोबाइल फोन,01 पावर बैंक थाना कोतवाली गाजियाबाद पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित व नगदी 1720/- रूपये थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित तथा 01 स्कूटी थाना सिहानी गेट पर पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित बरामद हुई है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि 02 मोबाइल फोन जिसमे 01 रियलमी कम्पनी एवं 01 एप्पल कम्पनी का है हमने 24/07/25 की सुबह करीब 6 बजे के आस पास एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी के उपर बने कमरे किराना मण्डी से चोरी किये थे तथा जो स्कूटी है यह हमने करीब ढाई महीना पहले नैनीताल बैंक पुरानी सब्जी मण्डी के पास से शाम चोरी की थी। करीब 1.5 महीने पहले सी ब्लाट पंचवटी में सुबह के समय चोरी की थी वहां से हमे 1 मोबाईल फोन व एक घडी व 24 हजार रूपये मिले थे। मोबाईल व घडी हमने चलते फिरते आदमी को मजबूरी बताकर 3000 रूपये में बेच दिये थे तथा पैसे बराबर बराबर बांट लिये है आज जो पैसे मिले है वह बचे हुये पैसे है।

<u>नाम पता अभियुक्त</u>

1- शानू उर्फ शाहनवाज पुत्र दीन मोहम्मद निवासी गोल्डन पब्लिक स्कूल के सामने प्रताप बिहार मिर्जापुर थाना विजय नगर स्थाई पता ग्राम जारचा थाना जारचा गौतमबुद्ध नगर उम्र 23 वर्ष
2- जुबैर उर्फ बबलू पुत्र युनुस निवासी फ्लैट नंबर 9/10 ब्लॉक 1, काशीराम सिद्धार्थ बिहार थाना विजय नगर गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

<u>बरामदगी-</u>

1- 01 स्कूटी
2- 02 मोबाइल, 01 पावर बैंक
3- 1720 रूपये

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम